राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या .....1124 एवं 1125/2017 .....जिला.....जयपुर.....

उनवान – मैसर्स नाटाणी रोलिंग मिल्स प्रा. लि. बनाम सहायक आयुक्त प्रतिकरापवंचन, वृत्त–I जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.08.2017	**खण्डपीठ** **श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष** **श्री राजीव चौधरी, सदस्य** अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री जी.एन. शर्मा एवं विभाग की ओर से श्री एन.के. वेद, उप–राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से हस्तगत अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे "**अपीलीय अधिकारी**" कहा जायेगा) के पृथक–पृथक पारित आदेश दिनांक **30.05.2017,** जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "**अधिनियम**" कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है जिसमें कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित निर्धारण आदेश वर्ष 2009–10 व 2010–11 आदेश दिनांक 17.02.2017 के जरिये कायम मांग राशियों में से दोनों अपीलों में क्रमशः रूपये 4,72,991/– व 512234/– की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार करने को चुनौती दी गयी है। उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा आरोपित मांग राशि अविधिक व न्याय विरूद्ध है। विद्वान अभिभाषक का कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की स्वतंत्र जांच नही की गई। सिर्फ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा की गई जांच को आधार बनाते हुए करारोपण किया गया है, जो अविधिक है। अपने कथन के समर्थन में विद्वान अभिभाषक द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय का (2001) 121 एसटीसी 1 (एससी), (1977) 39 एसटीसी 30 (एससी), (2001) 121 एसटीसी 1 (एससी) व माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर का एसबी सेल्स टेक्स रिविजन पिटीशन संख्या 492/2011 आदेश दिनांक 26.08.2014 का न्यायिक दृष्टांत पेश करते हुए सृजित मांग राशि अविधिक होने से स्थगित किये जाने का निवेदन किया। बहस के दौरान विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया गया तथा कथन किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विधि के अनुकुल आदेश पारित किया है व स्वतंत्र जांच करके आदेश पारित किया है व अपीलीय अधिकारी द्वारा भी कानूनी प्रावधानों के मध्यनजर आदेश पारित किया है जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अतः स्थगन आवेदन पत्र अस्वीकार किया जावे। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 17.02.2017 के लिये अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील लम्बित है। अपीलीय अधिकारी द्वारा धारा 38(4) के तहत् दिनांक 30.05.2017 को पारित आदेश में कर निर्धारण आदेश द्वारा सृजित मांग में से शास्ति लगातार.....2.	

की राशि 11,39,222/– रूपये की वसूली को एक वर्ष या अपील के निर्णय तक जो भी पहले हो तक स्थगित कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध वर्तमान अपील प्रस्तुत की गयी है। जिसमें दोनों अपीलों में क्रमशः रूपये 4,72,991/– व 5,12,234/– की वसूली को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील के निर्णय तक स्थगित किये जाने का निवेदन किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी की यह आपत्ति रही है कि केन्द्रिय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा जो दिनांक 03.08.2010 को सर्वे किया गया उसके आधार पर करारोफ्ण किया गया है न कि कोई स्वतंत्र जांच की गयी। राजस्व का यह कथन है कि उनके द्वारा स्वतंत्र जांच की गयी है। अभियोजन अधिकारी द्वारा व्यवहारी का दिनांक 11.07.2013 को सर्वेक्षण किया गया। व्यवहारी को अभिग्रहित दस्तावेज को सत्यापन अपनी लेखा पुस्तकों से करवाने हेतु नोटिस जारी किया गया किन्तु व्यवहारी द्वारा अपनी लेखा पुस्तके प्रस्तुत नहीं की गयी।

प्रकरण अभी अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित है। प्रकरण के गुणावगुण पर इस प्रकरण पर टिप्पणी किया जाना न्यायसंगत नहीं है किन्तु पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि केन्द्रिय उत्पाद शुल्क विभाग के सर्वे के पश्चात् राजस्व/वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा पृथक से व्यवहारी का सर्वेक्षण किया गया है। सर्वेक्षण में अभिग्रहित दस्तावेजों के सत्यापन हेतु बावजूद नोटिस व्यवहारी ने लेखा पुस्तकें प्रस्तुत नहीं की गयी। अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 03.05.2017 के आदेश द्वारा शास्ति की राशि को स्थगित किया जा चुका है। अतः उपरोक्त समस्त विवेचन एवं प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टगत रखते हुए बकाया मांग को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील के निस्तारण तक स्थगित किये जाने के बिन्दु पर प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत अपीलार्थी की कोई मदद नहीं करता है। अतः गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धार 38(4) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 अस्वीकार की जाती है एवं इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के **तीन माह** में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करें।

आदेश सुनाया गया।

22/08/17

सदस्य
राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर

अध्यक्ष
राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर